

प्रेस नोट थाना गोला जनपद गोरखपुर दिनांक 05.02.2024

गैंग बनाकर गोवंश की तस्करी करने के आरोप में 01 नफर गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोला के नेतृत्व में 30नि0 फुलीन्दर यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 642/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त यासीन उर्फ सिलेबी पुत्र स्व0 रहमु खान मोतीपुर थाना रोसरा जिला समस्तीपुर बिहार हाल पता रसेतपुरवा थाना सिकरीगंज गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही कि जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

यासीन उर्फ सिलेबी पुत्र स्व0 रहमु खान मोतीपुर थाना रोसरा जिला समस्तीपुर बिहार हाल पता रसेतपुरवा थाना सिकरीगंज गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 642/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना गोला जनपद गोरखपुर

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 463/2023 धारा 33/5 ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुकुरता अधि0 थाना गोला गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 642/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना गोला जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 फुलीन्दर यादव थाना गोला जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 अनिल यादव थाना गोला जनपद गोरखपुर
3. का0 सत्येन्द्र भाष्कर थाना गोला जनपद गोरखपुर